भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CANCELLED NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FW 252551

(प्रारूप- "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप :-

हम हनुमान प्रसाद सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं रजनीश प्रताप सिंह (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जन कल्याण ट्रस्ट, ग्राम व पोस्ट- रामगढ़, तहसील- लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर (उ0प्र0), (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्राम व पोस्ट- रामगढ़, तहसील- लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर (उ0प्र0) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

क्र 3/(00) [illegible] हनुमान प्रसाद सिंह [illegible]

[illegible]

30/8/2023

[illegible]

I know and identify Sri Hanuman Prasad Singh S/o Sri Kamla Prasad Singh who has signed before me.

R.A. Singh

30/8/2023

Sl. No. 4976 Time 2:50

Solemnly affirmed before me in my office today on [illegible]

S/o [illegible]

R/o [illegible]

The affidavit have been read & explained to the deponent

Read ka ...

Date 30/08/23 NOTARY (PUBLIC) Lambhua, Sultanpur

30/08/23

Ram Aarey Singh
Advocate
NOTARY
Lambhua, Sultanpur (U.P.)

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जन कल्याण ट्रस्ट (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) ग्राम व पोस्ट– [illegible], तहसील– लम्भुआ, जनपद– सुलतानपुर (उ0प्र0) में गाटा सँख्या 1, 4, 5 एवं 3 रकबा क्रमशः 0.4680, 0.1900, 0.0150 एवं 0.1430 हेक्टेयर (कुल रकबा 0. 8150 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सँख्या 1, 4, 5 एवं 3 रकबा क्रमशः 0.4680, 0.1900, 0.0150 एवं 0.1430 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8150 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 19.06.2022, 16.08.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा

अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव/प्रबन्धक
मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंसेज जन कल्याण ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट– रामगढ़,
तहसील– लम्भुआ,
जनपद– सुलतानपुर (उ0प्र0)

ह0 अध्यक्ष
मथुरा प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंसेज जन कल्याण ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट– रामगढ़,
तहसील– लम्भुआ,
जनपद– सुलतानपुर (उ0प्र0)